

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- श्री श्याम सुन्दर विश्नोई, आर0ए0एस0
:- वादी:- बनाम :- प्रतिवादीगण :-

1. मोतीराम पुत्र भनाराम
जाति- राईका
निवासी- धनेरिया
तहसील-जैतारण।
1. सावतराम पुत्र भनाराम
2. घीसाराम पुत्र भनाराम
3. पेमाराम पुत्र भनाराम
जातियान- राईका निवासी- धनेरिया
तहसील-जैतारण।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
(लैण्ड होल्डर) जैतारण जिला-ब्यावर।

मु0न0 :रा0वा0स0- 46/2020

राजस्व वाद बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी श्री भाकरसिंह भाटी, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुख्दई महेन्द्र प्रजापत जैतारण, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुख्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा धनेरिया पटवार हल्का केकिन्दडा तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 136 रकबा 25.05 बीघा किस्म बारानी अव्वल आई हुई है, के भू-अभिलेख में प्रविष्टि 'घीसाराम पुत्र मानाराम हिस्सा 9/40, पेमाराम पुत्र मानाराम हिस्सा 9/40, बस्तीमल पुत्र शंकरलाल हिस्सा 1/10, मानाराम पुत्र गायड हिस्सा 9/40, सावत पुत्र मानाराम हिस्सा 9/40' अंकित है, को विलोपित किया जाकर उनके स्थान पर प्रविष्टि 'सावतराम पुत्र भनाराम हिस्सा 1/4, घीसाराम पुत्र भनाराम हिस्सा 1/4, पेमाराम पुत्र भनाराम हिस्सा 1/4, मोती राम पुत्र भनाराम हिस्सा 1/4' दर्ज करने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार जैतारण उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करें।

नीज-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 31.07.2024 को जारी किया गया।

मोहर



सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

मुख्दई	रुपये	पैसे	मुख्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	5.00		स्टाम्प वकालतनामा	1.00	
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प अर्जी	0.00	
स्टाम्प वजह सबूत	9.00		महनताना वकील	0.00	
महनताना वकील	0.00		खर्चा गवाहान	0.00	
खर्चा गवाहान	0.00		फीस कमीश्नर	0.00	
फीस कमीश्नर	0.00		बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00		मुत्फरिक	0.00	
मिजान:-	15.00		मिजान:-	1.00	

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।